प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज

आफर सूचना

पत्रांक: 1503 / अ0अ0 / उद्यान / वि0प्रा0 / 2020–21 दिनांक: 21/01/21

प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा सुमित्रानन्दन पंत बाल उद्यान(हाथी पार्क) में बच्चों के मनोरंजन हेतु अस्थाई रूप से छोटे झूले लगाने हेतु इस कार्य के प्रतिष्ठित संस्थाओं व अनुभवी या प्रयागराज विकास प्राधिकरण के पंजीकृत फर्मो से निम्न नियम एवं शर्तो पर संचालन हेतु आफर आमंत्रित किये जाते है:–

1. बच्चों के मनोरंजन हेतु अस्थाई रूप से छोटे झूले लगाकर संचालन अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष हेतु बैध होगा।
2. आफरदाताओं को आवेदन पत्र अधीक्षण अभियन्ता, प्रयागराज विकास प्राधिकरण के कार्यालय में दिनांक 30.01.2021 को अपरान्ह् 2.00 बजे तक सीलबन्द प्राप्त किये जायेगें एवं उसी दिन सायें 4.00 बजे खोले जायेगें। आफर खोलते समय आफरदाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।
3. आफरदाता को आवेदन पत्र के साथ रू0 25,000.00 (रू0 पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि की एन0एस0सी0 / एफ0डी0आर0 जो अधिशासी अभियन्ता, प्रयागराज विकास प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक हो, जमानत के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा। वगैर जमानत धनराशि के आवेदन पत्र पर विचार नही किया जायेगा।
4. आफर के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जानकारी अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय में किसी कार्य दिवस में प्राप्त / देखी जा सकती है।
5. बच्चों के मनोरंजन हेतु पार्क में निर्धारित स्थल पर निर्धारित आकार–प्रकार के खेल उपकरण (झूले) यथा वोन्सी(बच्चा), वी0वी0टी0, सुपरडूपर(चाइल्ड) आदि लगाने होगें। इन झूलों को लगाने, उनकी देख–रेख, रख–रखाव, बिजली, मरम्मत व संचालन पर आने वाला समस्त व्यय सम्बन्धित फर्म को वहन करना होगा। इनपर अनुमन्य से अधिक बच्चों को नही बैठाया जायेगा। उक्त आफर तिथि को कोई सार्वजनिक अवकाश होता है तो आफर अगले कार्यदिवस में प्राप्त / खोले जायेगें।
6. पार्क में लगाये जाने वाले खेल उपकरणों पर किसी प्रकार का मनोरंजन शुल्क अथवा अन्य शुल्कों का भुगतान आवंटी फर्म को अदा करना होगा।
7. आफरदाता को आफर की सम्पूर्ण धनराशि अनुबन्ध से पूर्व अग्रिम में जमा करना होगा।
8. आफरदाता को झूला संचालन स्थल की साफ–सफाई रखनी होगी। झूलों के संचालन हेतु रू0 20.00 प्रति बच्चा शुल्क लिया जायेगा और उक्त निर्धारित शुल्क रू0 20.00 प्रति बच्चा से अधिक धनराशि लिये जाने पर नियमानुसार अनुबन्ध निरस्त करते हुए जमा जमानत धनराशि जप्त कर ली जायेगी।
9. झूलों में बच्चों की सुरक्षा हेतु समुचित सुरक्षा व्यवस्था संचालनकर्ता को रखनी होगी तथा स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा हेतु First Aid Box रखना अनिवार्य होगा।
10. झूलों के संचालन हेतु तैनात कर्मचारियों के सत्यापित आई0डी0 की प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
11. शर्तो के उल्लंघन की दशा में जमानत राशि जप्त करते हुये अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण के पास सुरक्षित रहेगा।
12. किसी विवाद की स्थिति में उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा। लाइसेन्स के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में वाद का क्षेत्राधिकार केवल जनपद प्रयागराज में स्थित न्यायालय में ही निहित होगा।
13. मा0 उच्च न्यायालय के दिशा–निर्देशों का अनुपालन करना होगा।

(रोहित खन्ना)
अधीक्षण अभियन्ता

प्रतिलिपि:-

1. उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. सचिव/मुख्य अभियन्ता/वित्त नियंत्रक को सूचनार्थ।
3. प्रभारी अधिकारी-कम्प्यूटर को इस आशय से कि उपरोक्त आफर सूचना प्राधिकरण की बेवसाइट पर समय से प्रदर्शित हो।
4. जन सम्पर्क अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि नियमानुसार समाचार-पत्रों में प्रकाशित करायें एवं प्रकाशित होने के उपरान्त समाचार पत्रों की प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता

प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज

कार्यालय : एम० एल० एन० रोड, इन्दिरा भवन, सिविल लाइन्स, प्रयागराज

आफर सूचना

प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा सुमित्रानन्दन पंत बाल उद्यान (हाथी पार्क) में बच्चों के मनोरंजन हेतु अस्थाई रूप से छोटे झूले लगाने हेतु इस कार्य के प्रतिष्ठित संस्थाओं व अनुभवी एवं प्रयागराज विकास प्राधिकरण के पंजीकृत फर्मों से निम्न नियम एवं शर्तों पर संचालन हेतु आफर आमंत्रित किये जाते हैं।

1. बच्चो के मनोरंजन हेतु अस्थाई रूप से छोटे झूले लगाकर संचालन अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष हेतु वैध होगा। 2. आफरदाताओं को आवेदन पत्र अधीक्षण अभियन्ता, प्रयागराज विकास प्राधिकरण के कार्यालय मे दिनांक 30.01.2021 को अपरान्ह 2:00 बजे तक सीलबन्द प्राप्त किये जायेगें एवं उसी दिन सायं 4:00 बजे खोले जायेगें। आफर खोलते समय आफरदाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। 3. आफरदाता को आवेदन पत्र के साथ रू0 25,00000.00 (रू0 पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि की एन0एस0सी0/ एफ0डी0आर0 जो अधिशासी अभियन्ता, प्रयागराज विकास प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक हो, जमानत के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा। बगैर जमानत धनराशि के आवेदन पत्र पर विचार नही किया जायेगा।

4. आफर के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जानकारी अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय में किसी कार्य दिवस में प्राप्त/ देखी जा सकती है। 5. बच्चों के मनोरंजन हेतु पार्क में निर्धारित स्थल पर निर्धारित आकार-प्रकार के खेल उपकरण (झूले) यथा वोन्सी(बच्चा), वी0वी0टी0, सुपरडूपर(चाइल्ड) आदि लगाने होगें। इन झूलों को लगाने, उनकी देख-रेख, रख-रखाव, बिजली, मरम्मत व संचालन पर आने वाला समस्त व्यय सम्बन्धित फर्म को वहन करना होगा। इनपर अनुमन्य से अधिक बच्चों को नही बैठाया जायेगा। उक्त आफर तिथि को कोई सार्वजनिक अवकाश होता है तो आफर अगले कार्यदिवस में प्राप्त/खोले जायेगें। 6. पार्क में लगाये जाने वाले खेल उपकरणों पर किसी प्रकार का मनोरंजन शुल्क अथवा अन्य शुल्कों का भुगतान आवंटी फर्म को अदा करना होगा। 7. आफरदाता को आफर की सम्पूर्ण धनराशि अनुबन्ध से पूर्व अग्रिम में जमा करना होगा। 8. आफरदाता को झूला संचालन स्थल की साफ-सफाई रखनी होगी। झूलों के संचालन हेतु रू0 20.00 प्रति बच्चा शुल्क लिया जायेगा और उक्त निर्धारित शुल्क रू0 20.00 प्रति बच्चा से अधिक धनराशि लिये जाने पर नियमानुसार अनुबन्ध निरस्त करते हुए जमा जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी। 9. झूलों में बच्चों की सुरक्षा हेतु समुचित सुरक्षा व्यवस्था संचालनकर्ता को रखनी होगी तथा स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा हेतु **First Aid Box** रखना अनिवार्य होगा। 10. झूलों के संचालन हेतु तैनात कर्मचारियों के सत्यापित आई0डी0 की प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। 11. शर्तों के उल्लंघन की दशा में जमानत राशि जब्त करते हुये अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण के पास सुरक्षित रहेगा। 12. किसी विवाद की स्थिति में उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा। लाइसेन्स के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में वाद का क्षेत्राधिकार केवल जनपद न्यायालय में ही निहित होगा। 13. मा0 उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का अनुपालन करना होगा।

रोहित खन्ना

अधीक्षण अभियन्ता

दिनांक: 190/ज0स0अ0/वि0प्रा0/2020-21

दिनांक : 22.01.2021